कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अमेठी।

पत्रांक 326 /अधि0 / स0सु0 / 2020 दिनांक:–16.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम ,1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाराबंकी जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	राज्य मार्ग (जगदीशपुर–जामो–गौरीगंज–सैठा–ऐठा)	जगदीशपुर–जामो–गौरीगंज–सैठा–ऐठा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
2.	अन्य जिला मार्ग (इन्हौना–रूदौली मार्ग)	इन्हौना–रूदौली	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
3.	अन्य जिला मार्ग (वारिसगंज–जामो)	वारिसगंज–जामो	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
4	अन्य जिला मार्ग (अमेठी से मुसाफिरखाना)	अमेठी से मुसाफिरखाना	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
5.	अन्य जिला मार्ग (जगदीशपुर –जायस)	जगदीशपुर–जायस	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
6	रा0रा0मार्ग 931 (प्रतापगढ–जगदीशपुर–वाया अन्तू अमेठी –गौरीगंज –मुसाफिरखाना)	प्रतापगढ–जगदीशपुर–वाया अन्तू अमेठी–गौरीगंज–मुसाफिरखाना	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
7	ग्रामीण मार्ग (जगदीशपुर से संसारपुर)	जगदीशपुर से संसारपुर	20कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	30कि0मी0 प्रति घण्टा

	अन्य जिला मार्ग (सिंहपुर–तिलोई)	सिंहपुर–तिलोई	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
9.	अन्य जिला मार्ग (कमई–रायबरेली)	कमई–रायबरेली	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
10.	ग्रामीण मार्ग (सिधियावॉ सम्पर्क मार्ग)	सिधियावॉ सम्पर्क मार्ग	20कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	30कि0मी0 प्रति घण्टा
11.	अन्य जिला मार्ग (थौरी–मुसाफिरखाना)	थौरी–मुसाफिरखाना	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
12.	अन्य जिला मार्ग (जामो–मुसाफिरखाना)	जामो–मुसाफिरखाना	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा
13.	ग्रामीण मार्ग (कोहरा सम्पर्क मार्ग)	कोहरा सम्पर्क मार्ग	20कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	30कि0मी0 प्रति घण्टा
14.	ग्रामीण मार्ग (कोरारी–गिरधरशाह–कंसापुर)	कोरारी–गिरधरशाह–कंसापुर	20कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	30कि0मी0 प्रति घण्टा
15.	ग्रामीण मार्ग (नकहनपुर सम्पर्क मार्ग)	नकहनपुर सम्पर्क मार्ग	20कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	30कि0मी0 प्रति घण्टा
16.	ग्रामीण मार्ग (दसईपुर सम्पर्क मार्ग)	दसईपुर सम्पर्क मार्ग	20कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	40कि0मी0 प्रति घण्टा	30कि0मी0 प्रति घण्टा
17.	अन्य जिला मार्ग (दुर्गापुर –अमेठी)	दुर्गापुर –अमेठी	40कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	60कि0मी0 प्रति घण्टा	50कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(माला बाजपेयी)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अमेठी।

पृ0सं0–   स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।

3– जिला अधिकारी, अमेठी।

4– पुलिस अधीक्षक, अमेठी।

5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अपर परिवहन आयुक्त, (स0सु0),लखनऊ।

7–उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ।

8–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या।

9–अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय/निमार्ण खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, अमेठी।

10– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अमेठी